(152)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 3541-तीन/2013 रेस्टो. - विरूद्ध आदेश दिनांक 9-10-2012 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर - प्रकरण कमांक 261/दो/2008 निगरानी

बिगेन्द्र कुमार राठौर पुत्र रेवाधर राठौर
ग्राम महुदा तहसील जैतवारी
जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

रामदास पुत्र दिखीराम राठौर
ग्राम महुदा तहसील जैतवारी
जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री कुंअर सिंह कुशवाह)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)

आ दे श

(आज दिनांक २५-०१-2017 को पारित)

यह पुनर्स्थापन आवेदन तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 261-दो/2008 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-10-12 पर से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35 (3) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक की ओर से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 676/2005-06 निगरानी में पारित आदेश

दिनांक 13-2-2008 के विरूद्ध राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की गई। प्रकरण में सुनवाई हेतु पेशी 9-10-12 नियत थी किन्तु इस तिथि को आवेदक एंव उनके अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित से प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया। इसी आदेश को निरस्त कर प्रकरण पुर्नस्थापित करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत हुआ है।

4/ आवेदक के अभिभाषक श्री कुंअर सिंह कुशवाह एंव अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर के तर्क सुने गये तथा प्रकरण कमांक 261-दो/2008 एंव प्रकरण कमांक 3541-तीन/ 13 रेस्टो. में आये तथ्यों का अवलोकन किया गया।

5/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि राजस्व मण्डल में प्रचलित प्रकरण कमांक 261-दो/2008 में पूर्व से पेशी 9-10-12 नियत थी किन्तु दिनांक 9-10-12 को रीडर ने प्रकरण नहीं निकाला एंव संतोषजनक जानकारी भी नहीं दी तथा दिनांक 9-10-12 को प्रकरण कब निकाल कर अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया, पता नहीं चला। पक्षकार ने जब 29-8-13 को संबंधित बाबू से प्रकरण की जानकारी ली, तब ज्ञात हुआ कि हमारा केश दिनांक 9-10-12 को अदम पैरवी में खारिज हो चुका है इसके बाद पक्षकार घर चला गया एंव दिनांक 3 या 4 सितम्बर 2013 को ग्वालियर आकर नकल आवेदन लगाया और नकल मिलने पर पुर्नस्थापन आवेदन जानकारी के दिन से समयावधि में है इसलिये प्रकरण कमांक 261-दो/2008 को पुर्नस्थापित किया जाय। अनावेदक के अभिभाषक ने बताया है कि आवेदक के अभिभाषक का दायित्व है कि वह प्रकरण की अद्यतन जानकारी रखे। आवेदक के अभिभाषक न्यायालय को गलत जानकारी दे रहे हैं इसलिये पुर्नस्थापन आवेदन निरस्त किया जावे।

6/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव न्यायालय के प्रकरण कमांक 261-दो/2008 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि 9-10-12 की नियत तिथि के पूर्व पेशी 9-7-12 थी इस दिन आवेदक के अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर आगामी पेशी 9-10-12 आडरशीट के हासिये में टीप की है। आवेदक के अभिभाषक का यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता है कि दिनांक 9-10-12 को प्रकरण प्रवाचक ने नहीं निकाला, क्योंकि प्रवाचक यदि प्रकरण

नहीं निकालता, निश्चित है प्रकरण सुनवाई के लिये पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता, जबकि तत्का. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रकरण 9-10-12 को अदम पैरवी में निरस्त हुआ है। स्पष्ट है कि आवेदक के अभिभाषक ने अदम पैरवी आदेश के सम्बन्ध में भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किये हैं।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने पुर्नस्थापन आवेदन के पैरा-4 में निम्नानुसार विवरण दिया है :-

" **पक्षकार विगेन्द्रसिंह राठौर दिनांक 29-8-13 समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल आकर संबंधित बाबू से प्रकरण की जानकारी ली गई तब ज्ञात हुआ कि हमारा केस दिनांक 9-10-12 को अदम पैरवी में खारिज हो गया है तब हम उसी दिनांक 29-8-13 ग्वालियर से अनूपपुर वापिस घर चले गये फिर आवेदन पत्र धारा 5 आवेदनपत्र मय शपथपत्र तैयार कराकर ग्वालियर अभिभाषक को नकल हेतु मोवाईल बात की कहा कि 3 या 4 सितम्बर 2013 को नकल हेतु आवेदन देकर नकल प्राप्त कर यह रेस्टोरेशन आवेदन पत्र लगा देना।** "

स्पष्ट है कि जब 29-8-13 को जब आवेदक को अदम पैरवी आदेश दिनांक 9-10-12 की जानकारी हो चुकी थी, ग्वालियर में अभिभाषक से संपर्क न करते हुये वापिस अनूपपुर चले जाने का तथ्य अविश्सनीय है साथ ही 9-10-12 से रेस्टोरेशन आवेदन प्रस्तुती दिनांक 23-9-13 तक आवेदक के अभिभाषक ने प्रकरण की जानकारी लेने का प्रयास क्यों नहीं किया, तथ्य विश्वसनीय नहीं है क्योंकि राजस्व मण्डल द्वारा पारित किये जाने वाले समस्त आदेश On line हैं।

भू राजस्व संहिता, 1959 म0प्र0 - धारा 35 - न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित - अपास्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत - आवेदन पत्र में आदेश की जानकारी का श्रोत गलत तथ्यों पर आधारित - आवेदन अवधि वाह्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुर्नस्थापन आवेदन सारहीन एंव अवधि-वाह्य पाये जाने से अमान्य किया जाता है।

(एस0एस0अली)

सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर